

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :— एफ 4(136—।।)आयोजना / निकाशि / 2011-12 /

दिनांक :—

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(30)शिक्षा-3/2009 दिनांक 05 अप्रैल, 2010 द्वारा निदेशक (अकादमी) के पद को कमोन्नत किया जाकर है। यह स्वीकृति वित्त (व्यय) विभाग की आई.डी. संख्या 131000080 दिनांक 25.02.2010 की सहमति से जारी की गई है।

अतः संयुक्त निदेशक (अकादमी) का वेतन आगामी आदेश तक निदेशक (अकादमी) के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

2202—सामान्य शिक्षा

03—विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

001—निर्देशन एवं प्रशासन

(01)—निदेशालय (आयोजना)

८

निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं  
पदेन विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :— एफ 4(136—।।)आयोजना / निकाशि / 2011-12 / १९०४-११ दिनांक :— १७.९.१२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, (आयोजना एवं समन्वय), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

८/१५८  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,  
जयपुर।